न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—107/2015/223 (2015/00073)

1. श्रीमती जसोदा पत्नि स्व0 शिवराज,
2. लालचंद पु स्व0 शिवराज,
3. कैलाश पुत्र स्व0 शिवराज,
4. राजू पुत्र शिवराज,

समस्त जाति माली, नि0 ग्राम बांसेली, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सुवा पुत्र राजू,
2. प्रहलाद पुत्र सुवा,
3. कालू पुत्र सुवा,

जाति माली, नि0 ग्राम बांसेली, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षणार्थी), अजमेर, दिनांक 22.5.2009 अंतर्गत वाद संख्या 14/1998 (177/99).

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.

निर्णय

दिनांकः—23.4.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षणार्थी), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी भूमि खसरा नंबर 361 रकबा 10—01—00 बीघा बारानी—3 के खातेदार है तथा प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नंबर 360 जो खसरा नंबर 361 के पश्चिम में है पर बाड़ा बना रखा है । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने करीब 4 माह पूर्व वादीगण/अपीलांट के खेत खसरा नंबर 361 की मेड़ पर से दो नीम के पेड़ काट लिये और करीब 5,000/—रू0 की लकड़ी ले गये तथा दिनांक 10.1.1998 को उक्त खेत की मेड़ पर करीब 100 फुट लम्बा व 30 फुट चौड़ा कब्जा कर नीवं खोद दी तथा 20X20 फीट का बरामद बना लिया । इसलिये प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाकर वादीगण/अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा आयन्दा कब्जा नहीं करने हेतु रेस्पो0 को पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादी भूमि खसरा नंबर 361 रकबा 10–01–00 बीघा बारानी–3 के खातेदार है तथा प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नंबर 360 जो खसरा नंबर 361 के पश्चिम में है पर बाड़ा बना रखा है । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने करीब 4 माह पूर्व वादीगण/अपीलांट के खेत खसरा नंबर 361 की मेड़ पर से दो नीम के पेड़ काट लिये और करीब 5,000/–रू0 की लकड़ी ले गये तथा दिनांक 10.1.1998 को उक्त खेत की मेड़ पर करीब 100 फुट लम्बा व 30 फुट चौड़ा कब्जा कर नीवं खोद दी तथा 20X20 फीट का बरामद बना लिया है जिसका रेस्पो0 को कोई विधिक अधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा दावा व जवाबदावा के आधार पर 10 तनकियात कायम की गई जिस पर अलग–अलग निर्णय पारित नहीं कर सामूहिक दो–दो, तीन–तीन तनकीयों का निर्णय एक साथ किया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के सिद्धांतों के प्रतिकूल निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण अपनी किसी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं कर पाये िकवह भूमि खसरा नंबर 360 पर काबिज है तथा जो निर्माण है वह पुराना है । मौखिक साक्ष्य से उनके रकबे का मिलान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं हो रहा है जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट था कि उन्होंने अपीलांट के खेत खसरा नंबर 361 की मेढ़ पर अतिक्रमण किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 9.1.2004 मे यह स्पष्ट लिखा था कि खसरा नंबर 361 की उत्तरी मेड़ में 6 ग्टटे का अंतर है तो किस प्रकार वादीगण का रकबा पूर्ण हो सकता है । वादीगण का वाद ही यही था कि खसरा नंबर 361 की उत्तरी मेड़ पर अतिक्रमण करके प्रतिवादीगण ने 100X30 फीट भूमि पर कब्जा कर दीवार बना ली है इसलिये मौका रिपोर्ट को सही नहीं समझ कर जो निर्णय पारित किया है वह दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 द्वारा वादी की भूमि पर निर्माण नहीं किया गया है बल्कि यह आबादी भूमि पर होकर पुश्तैनी निर्माण है । मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2003 के अनुसार अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 361 रकबा 10–1–0 पूरे रकबे पर काबिज काश्त है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी के निशान भी लगाये गये है । यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 361 के तीन मिन टुकडे है । प्रथम खेत चौसाला खसरा नंबर 330 रकबा 10–1–00 का वर्किंग खसरा नंबर 361 रकबा 10–1–00 बीघा है जो कि अपीलांट की भूमि है । द्वितीय खेत चौसाला खसरा नंबर 332 रकबा 2–9–10 से वर्किंग खसरा नंबर 361 रकबा 0–2–10 रास्ता की भूमि है इसी प्रकार तृतीय खेत चौसाला खसरा नंबर 415 रकबा 17–17–00 बीघा से वर्किंग खसरा नंबर 361 रकबा 18 बिस्वा है जो किस्म आबादी है । अपीलांट का चौसाला खसरा नंबर 332 एवं 415 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 361 रकबा 0–2–10 रास्ता एवं 0–18–00 आबादी से कोई लेना–देना नहीं है। रेस्पो0 का निर्माण चौसाला खसरा नंबर 415 के नवीन खसरा नंबर 361 मिन रकबा 18 बिस्वा आबादी भूमि पर है जिस पर रेस्पो0 का पुराने समय से मकानात बने हुए है एवं निवास कर रहे है । यह भी कथन

किया कि चौसाला खसरा संख्या 415 सन् 1365 फसली यानि सन् 1955–56 में रेस्पो0 के भाई शम्भों पुत्र राजू माली के कब्जे में अंकित की गई है । इस संदर्भ में मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–ए–6, खसरा गिरदावरी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श–ए–5, चौसाला खसरा नंबर प्रदर्श–ए 3 व वर्किग खसरा नंबर प्रदर्श ए–4 एवं 1365 फसली प्रदर्श ए–1 प्रस्तुत किये है एवं मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है । अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2003 पर कोई आपत्ति अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं की है न ही इस बात की कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई कि खसरा संख्या 361 संपूर्ण जिसमें रास्ता व आबादी भूमि सम्मिलित है अपीलांट की भूमि हो बल्कि अपीलांट खसरा नंबर 361 रकबा 10–1–00 की आड़ में खसरा नंबर 361 मिन रकबा 00–2–10 रास्ता की भूमि पर एवं खसरा नंबर 361 मिन रकबा 18 बिस्वा आबादी भूमि जिस पर रेस्पो0 के मकानात बने है पर इस वाद की आड़ में कब्जा करने पर आमादा है जबकि अपीलांट की खसरा नंबर 361 की संपूर्ण 10–1–00 भूमि अपीलांट के कब्जे में है। बहस में यह भी कथन किया कि भूमि आबादी होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 361 सिवायचक है इस कारण वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है किन्तु वादी ने राज्य सरकार को पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जिससे भी वादी/अपीलांट का वाद संधारण योग्य नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी/अपीलांट का वाद साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 361 रकबा 10–1–00 बीघा पर रेस्पो0 दीवार बनाकर एवं निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं रिकार्ड से खसरा नंबर 361 के तीन मिन टुकड़े है जिसमें से दो खसरा नंबर 361 रास्ते व आबादी भूमि है । वादिया द्वारा अपने वादपत्र में तीनों खसरा नंबर का हवाला न देकर केवल एक खसरा नंबर जो स्वंय की खातेदारी का है का ही हवाला दिया गया है जबकि खसरा संख्या 361 रकबा 10–1–00 संपूर्ण अपीलांट के कब्जे में है । इस संबंध में मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श ए–6 एवं ए–5 के अनुसार प्रथम खेत चौसाला खसरा नंबर 330 रकबा 10–1–00 का वर्किग खसरा नंबर 361 रकबा 10–1–00 बीघा है जो कि अपीलांट की भूमि है । द्वितीय भूमि चौसाला खसरा नंबर 332 रकबा 2–9–10 से वर्किग खसरा नंबर 361 रकबा 0–2–10 रास्ता की भूमि है इसी प्रकार तृतीय भूमि चौसाला खसरा नंबर 415 रकबा 17–17–00 बीघा से वर्किग खसरा नंबर 361 रकबा 18 बिस्वा है जिसकी किस्म आबादी है । इस प्रकार खसरा नंबर 361 के तीन मिन नंबरों की भूमि होना साबित होता है। वादिया द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर जो चौसाला खसरा नंबर 330 रकबा 10–1–00 की भूमि के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया है । इस संबधं में अधी0न्याया0 द्वारा मौके की वस्तुस्थिति बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.12.2003 को मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके अनुसार अपीलांट मौके पर अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 361 रकबा 10–1–00 बीघा संपूर्ण पर काबिज काश्त है एवं राजस्व कर्मचारीगण द्वारा 10–1–00 संपूर्ण पर पत्थरगढ़ी के निशान भी लगाये गये जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई उज्र ऐतराज व आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एवं मौका रिपोर्ट एक स्वीकृत दसतावेज है

जिसके अनुसार अपीलांट अपनी खातेदार की भूमि पर काबिज काश्त होना सिद्ध होता है । रेस्पो0 का चौसाला खसरा संख्या 415 के वर्किंग खसरा नंबर 361 मिन रकबा 18 बिस्वा आबादी पर निर्माण होना प्रदर्श ए–1 फसली 1365 से एवं हल्का पटवारी व गिरदावर रिपोर्ट दिनांक 30.12.2003 से मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित होता है । उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं किया गया है बल्कि रेस्पो0 का निर्माण आबादी भूमि चौसाला खसरा नंबर 415 जिसके नवीन खसरा नंबर 361 मिन रकबा 18 बिस्वा आबादी पर होना पाया जाता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है ।।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशिक्षणार्थी) अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर